

प्रेस नोट दिनांक 22-04-20-21

थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा गैंगस्टर में वांछित 01 अभियुक्त को किया

गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 22.04.21 को गागलहेड़ी पुलिस द्वारा थाना हाजा के मु0अ0सं0 109/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त वकील पुत्र हनीफ नि0 ग्राम धतौली थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर को एक अदद चाकू नाजायज सहित खतौली तिराहे से आधा कि0मी0 खतौली की तरफ समय करीब 09.30 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 112/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

नाम पता अभियुक्त-

(1) वकील पुत्र हनीफ नि0 ग्राम धतौली थाना फतेहपुर जनपद स0पुर।

आपराधिक इतिहास-

(1) मु0अ0सं0 196/20 धारा 307 भादवि थाना गागलहेड़ी स0पुर।

(2) मु0अ0सं0 198/20 धारा 11(1)क पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना गागलहेड़ी स0पुर।

(3) मु0अ0सं0 109/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गागलहेड़ी स0पुर।

(4) मु0अ0सं0 112/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गागलहेड़ी स0पुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

(1) थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय थाना गागलहेड़ी स0पुर।

(2) उ0नि0 श्री गम्भीर सिंह थाना गागलहेड़ी स0पुर।

(3) का0 1318 विकास सरोहा थाना गागलहेड़ी स0पुर।

(4) का0 1203 रोहित राणा थाना गागलहेड़ी स0पुर।

प्रेस नोट दिनांक 22/04/2021

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत थाना नकुड पुलिस द्वारा दिनांक 21/04/2021 को सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधि० के अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष भेजा गया है।

1. व०उ०नि० सतीश कुमार मय हमराह का० 795 रवि पंवार व कां० 2010 विक्रान्त द्वारा चैकिंग के दौरान एक नफर अभि० शाहरूख पुत्र अकबर अली नि० हर्षा थाना सररपुर जिला मेरठ को अवैध कोरसेंड से भरे एक 12 टायरा ट्रक नं० UP12AT3970 के साथ विश्वकर्मा चौक से दिनांक 21/4/21 को समय 20.00 बजे गिरफ्तार किया गया। जिस संबंध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 164/2021 धारा 379/411 भादवि० व 2/3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधि० पंजीकृत किया गया है।



अभि० का नाम व पता:-

शाहरूख पुत्र अकबर अली नि० हर्षा थाना सररपुर जिला मेरठ

बरामदगी:

अवैध कोरसेंड से भरा एक 12 टायरा ट्रक नं० UP12AT3970

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्र०नि० श्री किरनपाल सिंह
2. व०उ०नि० सतीश कुमार
3. का० 795 रवि पंवार
4. कां० 2010 विक्रान्त

प्रेस नोट दिनांक 22-04-2021

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 21-04-2021 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मकबरा चौकी से ग्राम मकबरा की ओर से अभि० मोहित उर्फ निशान्त कुमार पुत्र श्रवण कुमार निवासी ग्राम बाबुपुर नगली थाना देवबन्द, सहारनपुर को 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कार० .315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु०अ०सं० 253/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 21-04-2021 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा रिमाउण्ट डिपो गेट के सामने से अभि० हिमांशु पुत्र ओमपाल निवासी मोहल्ला सराबगान कस्बा व थाना नानौता, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु०अ०सं० 125/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीडिया/सोशल मीडिया सेल
सहारनपुर।